न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भूरा/2018/432 विरूद्ध आदेश दिनांक 26-12-2017 पारित द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त सुपावली तहसील मुरार जिला ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 43/बी-121/17-18 एवं 63/बी-121/2017-18

1-कृष्णमोहन शर्मा पुत्र स्व0श्री हरलाल उर्फ हीरालाल
निवासी एफ-148-सी-2-80 बेलपुर सिटी वाराणासी यू.पी.
द्वारा मुख्त्यारेआम सुरेंद्रसिंह चौहान पुत्र श्री अमरसिंह चौहान
निवासी चौहान प्याऊ थाटीपुर ग्वालियर
2-दिनेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री ठाकुरदास गुप्ता
निवासी लोहा मण्डी ग्वालियर
3-श्रीमती किरन श्रीवास्तव पत्नी स्व0श्री बालकिशन श्रीवास्तव
4-विक्रम श्रीवास्तव
5 राहुल श्रीवास्तव पुत्र स्व0श्री बालकिशन श्रीवास्तव
निवासी एलआईजी-द्वितीय 14 बरदिया बिहार रायपुर

.....आवेदकगण

<u>विरूद्ध</u>

1-अशोकराव शिवले पुत्र स्व0श्री गनपतराव शिवले
निवासी ग्राम पीपलगॉव जये मुख्त्यारेआम
आलोक रघुवंशी पुत्र श्री आर0एस0रघुवंशी
निवासी भास्कर लाइन जर्येन्द्रगंज लश्कर ग्वालियर
2-नायब तहसीलदार वृत्त सुपावली तहसील मुरार
जिला ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार वृत्त सुपावली तहसील मुरार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-12-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा ग्राम सिरोली के सर्वे क्रमांक 806, 807, 808, 809, 797, 798, 799 कुल रकबा 259 बीघा 5 बिस्वा के आधे भाग पर दीवानी प्रकरण क्रमांक आरसीएस 06 ए/2016 में पारित आदेश दिनांक 22-11-2017 के आधार पर आवेदक का नाम विलोपित कर अनावेदक का नाम भू-स्वामी के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर आवेदक के अधिवक्ता को आवेदन व दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराने के दिनांक 26-12-2017 को अंतरिम आदेश पारित किये गये । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

(1) प्रश्नाधीन रकबा 259 बीघा 5 बिस्वा के आधे भाग पर विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख में आवेदक के नाम से भूमिस्वामी दर्ज रही है ।

(2) सिविल न्यायालय के निर्णय को आवेदकगणों ने माननीय उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील में चुनौती दी गई है, जो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है ।

(3) उक्त भूमि के संबंध में पूर्व में अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 115 व 116 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसका प्रकरणक्रमांक 276/2007-08/अ-6 लंबित था उक्त प्रकरण में अनावेदक ने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदकगणों का नाम निरस्त किया जाकर अनावेदक क्रमांक 1 ने अपना नाम दुरूस्त कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जबकि अनावेदक को माननीय चतुर्थ अपर जिला जज के द्वारा पारित आदेश के आधार पर उक्त भूमि का नामान्तरण कराये जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था, परन्तु उसके द्वारा नामान्तरण आवेदन पत्र प्रस्तुत नकरते हुये जो कार्यवाही गई थी उक्त कार्यवाही विधिनुसार न होने से उक्त आवेदन पत्र के आधार पर अपर तहसीलदार को कोई कार्यवाही करने

का अधिकार नहीं होने से उनके द्वारा ग्रहण किया गया आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं होने से उनके द्वारा की गई जा रही कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश से सिविल कार्यवाही के अंतिम निराकरण तक राजस्व अभिलेख में कोई फेरफार करने से रोक लगाई गई है परन्तु राजस्व न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है।

उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित लंबित प्रकरण में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक को दस्तावेज उपलब्ध कराने की, की जा रही कार्यवाही विधिवत् है । अतः इस स्तर पर प्रकरण में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है इसलिये नायब तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार वृत्त सुपावली तहसील मुरार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-12-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर